



संख्या— 3254/जी0एस0(शिक्षा)/A15-48/2021

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू होप टाउन (शीशमबाड़ा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 30 अप्रैल, 2025

महोदय,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230821065414 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
सिद्धार्थ नर्सिंग एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नियर आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून	बी0एससी0-नर्सिंग	40	2022-23 एवं
	पोस्ट बेसिक बी0एससी0-नर्सिंग	30	2023-24

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान से शैक्षिक सत्र 2024-25 के अन्त तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,

Digitally signed by
Swati Srivastava Bhadauria

Date: 29-04-2025 16:41:56 (स्वाति एस0 भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या- 3254 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A15-48 /2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. ✓ कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya

Date: 29-04-2025

17:44:59

(लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के अनु सचिव।